

29/12/20

वकील जार्जी उप-। अधिवक्ता ऊपार्थी सं. 1 लागू.
उ सी कौर ये पुस्तक जार्जना पत्र वास्ते पत्रावली
तलब कर शीघ्र सुनवाई वास्ते वकील जार्जी श्री
राहुल आचार्य द्वारा अनापत्ति फरक सी गई उक्त
जार्जना पत्र वास्ते पत्रावली तलब कर शीघ्र
सुनवाई कलनावे वाकत स्वीकार होने से पत्रावली
काज पैरा हुई जार्जीयां भारती शर्मा तथा नैतिक
जारीये संरक्षक माता झारती शर्मा द्वारा जार्जना पत्र
OgRy CPC संपादित धारा 151 CPC विज्ञो किये
जाने वाकत जार्जना पत्र पैरा किया गया। वकील
जार्जी तथा जार्जीयां भारती को सुना गया

५

लगाता

यदि उक्त पुस्तक
के जार्जीयां ही गत
होने वाकत वाकत
नहीं चलाये गये
तुम्हें मिला कि वाकत

जार्जीयां
जार्जीयां
लगाता

वकील पार्थी तथा प्राथिका द्वारा कचन
किये गये प्रकरण में पार्थीया तथा अपार्थीयाओं
के मध्य राजीनामा हो गया है अतः वह
पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते
हैं वकील पार्थी तथा अपार्थी द्वारा

पत्रावली आदेशिका पर इस बाबत रिप्ली
अंकित सी ऐसी स्थिति में पत्रावली पर आगे
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है।

अतः वकील पार्थी तथा प्राथिका के पार्थीना
पत्र व मेखिक कथनों को स्वीकार किया

जाकर पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर

पर समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल युमा
है। नम्बर लेकर होकर दाखिल दफ्तर हो।

१५
उपखण्ड अधिकारी
मिनाय (अजमेर)